GOVERNMENT
NIRANJAN KESHARWANI COLLEGE
KOTA (C.G.)

NAAC cycle three B+(2.60) CGPA - 2022

प्रवेश विवरणिका
ADMISSION & INFORMATION BROCHURE

प्राचार्य की कलम से ...

प्रिय छात्र/छात्राओं,

शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय में महाविद्यालयीन परिवार आपका स्वागत करता है। 24 सितम्बर 1985 को शासन द्वारा स्थापित यह महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र की युवा वर्ग की उच्च शिक्षा संबंधी आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

हम आपको शासन के उद्देश्यों व नीतियां के अंतर्गत स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इस विवरणिका के माध्यम से महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इस विवरण पत्रिका का उद्देश्य महाविद्यालयीन नियमों, शैक्षणिक, अशैक्षणिक गतिविधियों से छात्र/छात्राओं को सुपरिचित कराना है तथा यह आशा की जाती है कि वे सभी नियमों का भलीभांति पालन करेंगें। महाविद्यालयीन स्तर पर विभिन्न समितियां आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह महाविद्यालय आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप सिद्ध होगा।

आपके उज्जवल भविष्य की अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ..... ।

डॉ.बी.एल.काशी
प्राचार्य

शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय

कोटा,

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

E-mail : gnkckota@gmail.com
Website : www.gnkckota.ac.in

NAAC cycle three B+(2.60) CGPA - 2022

प्रवेश विवरणिका

प्रवेश आवेदन पत्र आवेदक स्वयं भरें ।
आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।

प्रवेश के समय प्रस्तुत करें :-

1. 10वीं एवं उससे आगे समस्त कक्षा की अंकसूची-स्व सत्यापित प्रति ।
2. मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र ।
3. जाति प्रमाण पत्र - स्व सत्यापित प्रति ।
4. निवास प्रमाण पत्र - स्व सत्यापित प्रति ।
5. पासपोर्ट साईज की 1 फोटो ।
6. परिचय पत्र प्रोफार्मा भरा हुआ फोटो सहित ।

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढें ।
2. आवेदन पत्र में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें ।

शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय

कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

परिचय :-

महाविद्यालय पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य कोटा तहसील के बीच अमरकंटक वन परिक्षेत्र से जुड़ी मैकल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है । महाविद्यालय के पूरब नगर का प्राचीन तालाब कोटसागर स्थित है, जिसमें वर्ष भर कमल आदि जलीय पुष्प शोभायमान रहते हैं और प्राकृति रूप से मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं । प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां मेला लगता है जो 10 दिनों तक चलता है। इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से कृषि एवं वनोपज से जुड़े हुए हैं । विजयादशमी के दिन दशहरा उत्सव का आयोजन एवं नयनाभिराम धार्मिक झांकियों की प्रस्तुति इस नगर की विशिष्ट पहचान है ।

महाविद्यालय तक आने के लिये करगीरोड स्टेशन से लगभग 3 कि.मी. रेल्वे लाईन पार पक्की सड़क है । करगीरोड स्टेशन, बिलासपुर-कटनी रेल्वे मार्ग पर बिलासपुर से 32 कि.मी. की दूरी पर है । यहां से 15 कि.मी. दूर रतनपुर में देवी महामाया का प्राचीन मंदिर है जो कल्चुरि वंश के राजा द्वारा निर्मित करवाया गया था ।

इस महाविद्यालय की स्थापना 1984 में हुई और अभी यहां कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर तथा कला संकाय के कुछ विषयों में स्नातकोततर स्तर तक पढ़ाई संचालित है । वर्तमान में 1351 नियमित छात्र/छात्राओं के लिये पठन-पाठन की व्यवस्था है ।

''विद्या ददाति विनयम् ।''

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय – (तीन वर्षीय)

(अ). कला स्नातक विषय

खण्ड – A	1.	राजनीति शास्त्र	2.	हिन्दी साहित्य	3.	इतिहास/अंग्रेजी साहित्य		
खण्ड – B	1.	राजनीति शास्त्र	2.	समाजशास्त्र	3.	अर्थशास्त्र	4.	भूगोल

अनिवार्य

1. आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा,
2. पर्यावरण एवं मानवाधिकार (प्रथम वर्ष)

(ब). कला स्नातकोत्तर विषय –

1. **एम.ए. अंग्रेजी –**
   I, II, III & IV सेमेस्टर

2. **एम.ए. हिन्दी –**
   I, II, III & IV सेमेस्टर

3. **एम.ए. राजनीति शास्त्र –**
   I, II, III & IV सेमेस्टर

4. **एम.ए. अर्थशास्त्र –**
   I, II, III & IV सेमेस्टर

5. **एम.ए. समाजशास्त्र –**
   I, II, III & IV सेमेस्टर

वाणिज्य संकाय :

अ. बी.काम. प्रथम वर्ष

अनिवार्य– पर्यावरण अध्ययन

आधार पाठ्यक्रम
- i हिन्दी भाषा
- ii अंग्रेजी भाषा

1 : Accounting
- i वित्तीय लेखांकन
- ii व्यावसायिक संचार

2: व्यावसायिक प्रबंध
- i व्यावसायिक नियमन रूपरेखा
- ii व्यावसायिक गणित

3: व्यावहारिक अर्थशास्त्र
- i व्यावसायिक पर्यावरण
- ii व्यावसायिक अर्थशास्त्र

ब. बी.काम द्वितीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम
   - i हिन्दी भाषा
   - ii अंग्रेजी भाषा

Group 1 : लेखांकन
- i निगमित लेखांकन
- ii वित्तीय लेखांकन

Group 2: व्यावसायिक प्रबंध
- i लागत लेखांकन
- ii कंपनी अधिनियम

Group 3: व्यावहारिक अर्थशास्त्र
- i व्यावसायिक सांख्यिकी
- ii उद्यमिता के मूलाधार

स. बी.काम तृतीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम
   - i हिन्दी भाषा
   - ii अंग्रेजी भाषा
2. अनिवार्य विषय
   - i आयकर
   - ii अप्रत्यक्ष कर
   - iii प्रबंधकीय लेखांकन
   - iv अंकेक्षण

वैकल्पिक ग्रुप – ए
- i वित्तीय प्रबंध
- ii वित्तीय बाजार परिचालन

वैकल्पिक ग्रुप – बी
- i विपणन के सिद्धांत
- ii अंतर्राष्ट्रीय विपणन

वैकल्पिक ग्रुप – सी
- i Information Technology and its application in
- ii Essential of E-commerce

वैकल्पिक ग्रुप – डी
- i बीमा के मूलाधार
- ii मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली

नोटः– महाविद्यालय में वैकल्पिक ग्रुप बी नियमित रूप से संचालित है।

विज्ञान संकाय (तीन वर्षीय)

अ. बी.एस–सी

कोई एक समूह

क.	गणित समूह :–	1.गणित, 2.रसायन, 3.भौतिक, 4.आधार पाठ्यक्रम–अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष)
ब.	विज्ञान समूह :–	1. रसायन, 2.जीव विज्ञान, 3.वनस्पति, 4. आधार पाठ्यक्रम–अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा (पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष))

2. प्रत्येक संकाय की कक्षावार प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या

अ.	**कला स्नातक**	**निर्धारित छात्र संख्या**
	प्रथम वर्ष (A-115 + B-115)	230
	द्वितीय वर्ष	230
	तृतीय वर्ष	230
ब.	**कला स्नातकोत्तर**	
	हिन्दी	20
	अंग्रेजी	20
	राजनीति विज्ञान	20
	समाज शास्त्र	20
	अर्थशास्त्र	20
स.	**वाणिज्य स्नातक**	
	प्रथम वर्ष	90
	द्वितीय वर्ष	90
	तृतीय वर्ष	90
द.	**विज्ञान स्नातक**	
	प्रथम वर्ष (गणित/बायो समूह)	30+60 = 90
	द्वितीय वर्ष	30+60 = 90
	तृतीय वर्ष	30+60 = 90

पाठ्यक्रम विवरण एवं अंक विभाजन

सेमेस्टर	प्रश्न पत्र	विषय/प्रश्न पत्र का नाम	अंक विभाजन		
			सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक
प्रथम	1	हिन्दी साहित्य का इतिहास (आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल)	80	20	100
	2	प्राचीन काव्य	80	20	100
	3	आधुनिक गद्य साहित्य (नाटक एवं निबंध)	80	20	100
	4	भाषा विज्ञान	80	20	100
				योग	400

सेमेस्टर	प्रश्न पत्र	विषय/प्रश्न पत्र का नाम	अंक विभाजन		
			सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक
द्वितीय	1	हिन्दी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल)	80	20	100
	2	मध्यकालीन काव्य	80	20	100
	3	आधुनिक गद्य साहित्य (उपन्यास एवं कहानी)	80	20	100
	4	हिन्दी भाषा	80	20	100
				योग	400

सेमेस्टर	प्रश्न पत्र	विषय/प्रश्न पत्र का नाम	अंक विभाजन		
			सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक
तृतीय	1	भारतीय काव्यशास्त्र	80	20	100
	2	आधुनिक काव्य	80	20	100
	3	प्रयोजन मूलक हिन्दी	80	20	100
	4	भारतीय साहित्य	80	20	100
				योग	400

सेमेस्टर	प्रश्न पत्र	विषय/प्रश्न पत्र का नाम	अंक विभाजन		
			सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक
चतुर्थ	1	पाश्चात्य काव्यशास्त्र	80	20	100
	2	छायावादोत्तर काव्य	80	20	100
	3	पत्रकारिता प्रशिक्षण	80	20	100
	4	लोक साहित्य, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य	80	20	100
				योग	400
				कुल योग	1600

SCHEME OF EXAMINATION AND DISTRIBUTION OF MARKS

SEMESTER – I

Paper No.	Title of the Paper (s)	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	Poetry-I From Chaucer to Blake)	20	80	100
2	Drama – I	20	80	100
3	Prose	20	80	100
4	Fiction	20	80	100

SEMESTER – II

Paper No.	Title of the Paper (s)	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	Poetry-II	20	80	100
2	Drama – II	20	80	100
3	Modern Literature (Poetry and Prose)	20	80	100
4	Fiction and Short Stories	20	80	100

SEMESTER – III

Paper No.	Title of the Paper (s)	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	Critical Theory	20	80	100
2	Indian Literature	20	80	100
3	American Literature	20	80	100
4	Optional (Any one) 1. History of English Literature 2. Linguistics	20	80	100

SEMESTER – IV

Paper No.	Title of the Paper (s)	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	Literature in Translation	20	80	100
2	Diaspora and Dalit Literature	20	80	100
3	World Literature	20	80	100
4	Optional (Any one) 1. Colonial and Post Colonial Literature 2. Gender Studies	20	80	100

SCHEME OF EXAMINATION AND DISTRIBUTION OF MARKS

SEMESTER – I

क्र.	प्रश्नपत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन	20	80	100
2	तुलनात्मक राजनीति	20	80	100
3	लोक प्रशासन	20	80	100
4	अंतर्राष्ट्रीय राजनीति	20	80	100

SEMESTER – II

क्र.	प्रश्नपत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन	20	80	100
2	समकालीन राजनीतिक मुद्दे	20	80	100
3	शोध प्रविधि	20	80	100
4	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	20	80	100

SEMESTER – III

क्र.	प्रश्नपत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	भारतीय शासन व राजनीति	20	80	100
2	भारत की विदेश नीति–सिद्धांत व व्यवहार	20	80	100
3	अंतर्राष्ट्रीय कानून	20	80	100
4	भारत में संघात्मक प्रणाली	20	80	100

SEMESTER – IV

क्र.	प्रश्नपत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1	भारत में राज्यों की राजनीति	20	80	100
2	राजनय के सिद्धांत व व्यवहार	20	80	100
3	मानव अधिकार – समस्या व संभावनायें	20	80	100
4	भारत में स्थानीय स्वशासन	20	80	100

SCHEME OF EXAMINATION AND DISTRIBUTION OF MARKS

SEMESTER – I

Paper No.	Tilte of the Paper (s)	Internal Assessment		Term end Exam	Total Marks
		Seminar	Test		
1.	Classical Sociological Theories	10	10	80	100
2.	Methodology of Social Research	10	10	80	100
3.	Rural Sociology	10	10	80	100
4.	Urban Society in India	10	10	80	100

SEMESTER – II

Paper No.	Tilte of the Paper (s)	Internal Assessment		Term end Exam	Total Marks
		Seminar	Test		
1.	Modern Sociological Theories	10	10	80	100
2.	Social Research and Statistics	10	10	80	100
3.	Rural Develoment and Changes	10	10	80	100
4.	Urban Social Structure and Problems	10	10	80	100

SEMESTER – III

Paper No.	Tilte of the Paper (s)	Internal Assessment		Term end Exam	Total Marks
		Seminar	Test		
1.	Perspective of India Society	10	10	80	100
2.	Industrial Sociology	10	10	80	100
3.	Demographica Profile	10	10	80	100
4.	Criminology	10	10	80	100

SEMESTER – IV

Paper No.	Tilte of the Paper (s)	Internal Assessment		Term end Exam	Total Marks
		Seminar	Test		
1.	Theoretical Perspective & Indian Society	10	10	80	100
2.	Industry and Society in India	10	10	80	100
3.	Social Demography of India	10	10	80	100
4.	Criminology and Correctional Institutions	10	10	80	100

SCHEME OF EXAMINATION AND DISTRIBUTION OF MARKS

At post graduate level candidate required to study 16 compulsory papers and 4 optional papers during 4 Semesters. There shall be 04 compulsory papers and 01 optional paper in I, II, III & IV semester.

Note : It is compulsory for the candidate to qualify first question paper of any one group of the optional paper in semester-I. Similarly one has to quality the second question paper of the same group in semester-II. In the same way in semester-III & IV it is compulsory for the candidate to quality both the question paper of any other group.

SEMESTER – I

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Micro Economic Analysis	20	80	100
2.	Quantitative Methods	20	80	100
3.	Indian Economic Policy	20	80	100
4.	International Trade & Finace	20	80	100
OPTIONAL (Choose any one Group)				
5.	Group A 1. Industrial Economics	20	80	100
5.	Group B 1. Labour Ecnonomics	20	80	100
5.	Group C 1. Demography	20	80	100
5.	Group D 1. Agriculture Economics	20	80	100
5.	Group E 1. Computer Application in Economic analysis	20	80	100
			TOTAL	500

SEMESTER – II

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Micro Economic Analysis	20	80	100
2.	Research Methodology and Computer Application	20	80	100
3.	Indian Economic Policy	20	80	100
4.	International Trade & Finace	20	80	100
OPTIONAL (Choose any one Group)				
5.	Group A 2. Industrial Economics	20	80	100
5.	Group B 2. Labour Ecnonomics	20	80	100
5.	Group C 3. Demography	20	80	100
5.	Group D 2. Agriculture Economics	20	80	100
5.	Group E 2. Computer Application in Economic analysis			
			TOTAL	500

महाविद्यालय में सुविधाएं

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में स्नातक स्तर पर 26000 एवं स्नातकोत्तर स्तर की 12000 पुस्तकें हैं। ग्रंथालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं शोध-पत्रिका मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तके प्रदान करने की बुक-बैंक योजना कार्यान्वित की जाती है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र /छात्राओं को सत्रांत तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। ग्रंथालय में ऑनलाईन अध्ययन हेतु N-List की सुविधा है।

1. महाविद्यालय में निर्धारित सुरक्षा निधि/छात्र छात्राओं को नियमानुसार गंथालय का सदस्य बनाती हैं
2. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता है। जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक हैं। नियमोल्लंघन करने कर छात्र दण्डित होंगे।
3. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है।
4. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तक निर्गमित की जावेगी।
5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिन के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 5.00 रू. के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रयोगषाला सुविधा :

1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिप्रेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये निर्णयानुसार प्रवेश सत्रारंभ से निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा।
2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम 20 होगी, न्यूनतम संख्या से कम प्रवेशार्थी उपलब्ध हौनेपर कक्षा प्रारंभ नहीं होगी।
3. यद्यपि प्रवेशार्थी छः माह से सत्र हेतु सत्रारंभ में ही प्रवेश लेगा किनतु लोकहित एवं सामान्य नियमित छात्रों के हित में प्राचार्य स्चयं अध्ययन सत्र का निर्धारण करेंगे।
4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क एक किश्त में सपूर्ण रूप से पटाने पर ही प्रवेश माना जावेगा।

1.	प्रयोगशाला षुल्क	-	90 रू.
2.	टूट-फूट सामग्री शुल्क	-	60 रू.
3.	सुरक्षा-निधि	-	100 रू.
	कुल रू.	-	**250 रू.**

नोट :-

1. शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
2. विश्वविद्यालय के पत्र क्रंमाक 1322/अंका./पात्रता/प्रवेश 03 दिनांक 6.6.03 एवं पत्र क्रमांक 1674 बिलासपुर दिनांक 11.7.03 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पहले पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। छ.ग.राज्य स्थित सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षाओंमें प्रवेश लेने के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S) -

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद विभाग तथा छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व एवं चरित्र के विकास तथा उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के उन्नयन के लिये संचालित की जाती हैं। कोटा महाविद्यालय में सत्र 1985 से यह योजना चालू है वर्तमान में आबंटित छात्र संख्या 100 हैं। प्रवेश योग्यतानुसार दिया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी, रासेयो श्री शितेष जैन सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

क्रीड़ा विभाग -

छात्र/छात्राओं को स्वास्थ्य एवं खेलों के नियम, तकनीक आदि की जानकारी प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में खेल-कूद के लिए कक्ष एवं खेल मैदान है, जिसमें इन्डोर गेम तथा आउटडोर गेम दोनों की व्यवस्था हैं। शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस आदि इन्डोर गेम तथा कबड्डी, खो-खो, हैण्डबॉल व्हालीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि आउटडोर गेम की भी सुविधा उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ ऐथलेटिक अन्तर्गत दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, भाला फेंक, तवा फेंक की भी सुविधा हैं। खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन दिसम्बर माह में किया जाता है। विगत सत्र कबड्डी एवं व्हालीबॉल में महाविद्यालय के खिलाड़ी छात्र/छात्राओं ने विश्वविद्यालय स्तर में भी भाग लिया। जिसकी सुविधा उपलब्ध है।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखत सुविधाएं भी दी जाती है, जिसे राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है ।

1. कृषक के पुत्र / पुत्रियों को सुविधा -

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र / पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियॉ को उपलब्ध हो सकती है जो 500/- से अधिक मालगुजारी न देते हों । ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण-पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें ।

1) विद्यार्थी के पिता को खेती द्वारा आमदनी का शपथनामा ।

2) महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त पूर्ण कर तथा तहसीलदार से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

2. भातृ / भागिनी सुविधा

यदि महाविद्यालय में दो अधिक भाई / बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा । इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें ।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों के लिये सुविधा -

अ) शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों की सुविधा / चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा । माता-पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

ब) 1800/- रूपयें तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती है ।

1) ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये ।

2) यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है ।

3) सदाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी ।

4. छात्र सहायता निधि -

योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्र सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है ।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -:

1. प्रत्येक विषय मे 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक ।
3. एन.सी.सी.कैंप/एन.एस.एस./खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं मे सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थिति माना जायेगा।
4. मेडिकल लीव्ह में रहने वाले छात्र के उपस्थिति की गणना इन दिवसों को घटा कर की जावेगी।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की, जायेगी।
8. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले विज्ञान/गृह विज्ञान के विद्यार्थी ''महाविद्यालयीन''के रूप में तथा कला/वाणिज्य के विद्यार्थी ''स्वाध्यायी'' के रूप में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
9. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

--00--

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र-2023-24

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्षक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' सेआशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिये जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेष के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) षासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देषों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगें। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेष की अंतिम तिथि के बाद प्रवेषचाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेष हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेष होने की स्थिति में ही प्रवेष दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहताहै, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थानरिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) के अंतर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च षिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध वि.वि./स्वषासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेष हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिषत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पष्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाये ।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालयों/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदानकिया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो./गणित समूह) प्रथम वर्श में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तष्तीय वर्श में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गष्हविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिहोंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय क ा
अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में सकाय की स्थिति में सबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान /अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेष की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेष के लिये निर्धरित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेष :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्श में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिहेतु 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेष/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस्ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राश्ट्रीय कौशल अर्हता संरचन(एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तरतक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाणपत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के

स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वषासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षादी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तष्तीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्यहै।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8. 5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा षपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

(क) छ.ग.शासन, उच्च षिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है ।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिषत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों केलिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहॉं अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पीछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा। आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों के अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इस विपरित क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉं खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाध ार आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों और नाती/नातीन के लिये 3 प्रतिषत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसर मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिषत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंकमें 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - “We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements.” का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किय जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडैट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	- 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वार आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	- 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को	- 15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	- 12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	- 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क)	छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	- 10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को	- 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकीं उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यर्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधि त विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र केरूप में कार्यरत हैं, तो स क्ष ा म अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध ा शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुये लागू होगा।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकत होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च षिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ षासन,
उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सत्र 2023–24 का अकादमिक कैलेण्डर

क्र.		विवरण	तिथियाँ
1	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2023 से 31.07.2023 तक
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2023 से 15.07.2023 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		14 अगस्त 2023 तक
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		01.07.2023 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन		मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह से
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		15.06.2024 तक
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		31.08.2024 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन		न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		31.10.2024 तक
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ		
	(क)	छात्रसंघ गठन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	24.08.2023 से 31.08.2023 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव / मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियॉं :–		
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2023 से
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2023 तक
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2023 में से कोई दो दिन
11	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉं :–		
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2023 के द्वितीय सप्ताह
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2023 में से कोई एक दिन
	(ग)	एनसीसी / एनएसएस कैम्प का आयोजन	23.12.2023 से 29.12.2023 तक
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी–फरवरी 2024

02.05.23 02.5.23 02.05.23

क्र.		विवरण	तिथियाँ
12	अवकाश		
	(क)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	23.10.2023 से 25.10.2023 तक
	(ख)	दीपावली अवकाश (5 दिन)	10.11.2023 से 14.11.2023 तक
	(ग)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	25.12.2023 से 27.12.2023 तक
	(घ)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2024 से 15.06..2024 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2023
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2023
	3	तृतीय यूनिट परीक्षा	06.11.2023
	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 नवम्बर 2023
	5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2023
	6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर 2023
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	29, 30, 31 जनवरी 2024
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	फरवरी 2024 से
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2024 प्रथम सप्ताह से

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. पाठ्यक्रम में निर्धारित निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थियों को आन्तरिक परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रकिया	16 जून से 30 जून 2023 तक	--
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई 2023 से	02 जनवरी 2024 से
प्रायोगिक परीक्षाएँ	02 से 11 नवम्बर 2023 तक	15 से 24 अप्रैल 2024 तक
परीक्षा पूर्व तैयारी	13 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक	25 अप्रैल 2024 से 01 मई 2024 तक
लिखित परीक्षाएँ	24 नवम्बर 2023 से	02 मई 2024 से
परीक्षा परिणाम	01 जनवरी 2024 तक	15 जून 2024 तक

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह तक
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या तक
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –
   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (सैद्धान्तिक, प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का निष्पादन अनिवार्यतः करेगें।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।
7. यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।
8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

---000---

02.05.23 02.05.23

3

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यहवार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनकों स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पॉच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/2004 डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । महाविद्यालय या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है । रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें ।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यकित के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का हीं होगा।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्रों का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म ऑनलाईन निर्धारित अवधि में भरना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से ऑनलाईन छात्रों को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

शुल्क विवरण

शुल्क विवरण	स्नातक		स्नातकोत्तर
	बी.ए./बी.कॉम	बी.एस.सी.	
शासकीय :			
शि□ण शुल्क	115.00	115.00	126.00
प्रायोगिक शुल्क	0.00	20.00	0.00
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
लेखन सा.	5.00	5.00	5.00
भूगोल विषय वाले को 20.00 प्रायोगिक शुल्क देय होगा।			
	123.00	143.00	134.00

□शासकीय

1.	परिचय पत्र	80.00
2.	आंतरिक मूल्यांकन	90.00
3.	सोशल गेदरिंग	50.00
4.	सम्मिलित निधि	34.00
5.	विश्वविद्यालय शुल्क	32.00
6.	महाविद्यालय विकास शुल्क	100.00
7.	विविध नेक	50.00
8.	रेडक्रास	50.00
9.	विभागीय शुल्क	55.00
10.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
	कुल राशि	**691.00**
11.	जनभागीदारी शुल्क	500.00
12.	अवधान राशि स्नातक	60.00
13.	अवधान राशि स्नातकोत्तर	100.00

नोटः– 1. शासन के निर्देशानुसार सभी □ात्राएं शिक्षण शुल्क से मुश्र्त होंगे।
2. □नु.जाति/□.ज.जा. के □ात्र/□ात्राएं शिक्षण शुल्क से मुश्र्त होंगे।

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी							
'शासकीय महाविद्यालय का नाम – निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला–बिलासपुर (छ0ग0)							
क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अतिशेष	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थापना दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राचार्य	1	0	1	0	–	–
2	प्राध्यापक	5	0	5	0	–	–
	राजनीति शास्त्र	1	0	1	0	–	–
	अर्थशास्त्र	1	0	1	0	–	–
	हिन्दी	1	0	1	0	–	–
	वाणिज्य	1	0	1	0	–	–
	अंग्रेजी	1	0	1	0	–	–
3	सहा. प्राध्यापक	15	15	0	0	–	–
	हिन्दी	1	1	0	0	श्री बी0एल0 काशी	11.01.2002
	अंग्रेजी	1	1	0	0	श्री शांतनु घोष	01.08.2016
	राजनीतिशास्त्र	2	2	0	0	डॉ0 जे0के0 द्विवेदी	12.10.1995
						डॉ0 प्रमिलादेवी मिरी	04.09.2019
	समाजशास्त्र	1	1	0	0	श्रीमती व्ही0पी0 मिंज	24.07.2007
	अर्थशास्त्र	1	1	0	0	डॉ0 संजू पाण्डेय	22.11.2012
	इतिहास	1	1	0	0	ए.के.पाण्डेय	**18.10.2022**
	भूगोल	1	1	0	0	श्री किशोर मिंज	08.10.2008
	वाणिज्य	2	2	0	0	डॉ0 नीलम त्रिवेदी	03.08.2016
						श्री शितेष जैन	01.12.2012
	रसायनशास्त्र	1	1	0	0	डॉ0 सपना पवार	13.07.2009
	गणित	1	1	0	0	श्री वाय0के0 उपाध्याय	07.10.1993
	भौतिकशास्त्र	1	0	1	0	श्री विनीत मन्नाडे	12.03.2022
	जन्तु विज्ञान	1	0	1	0	श्री आन्नद साव	02.05.2022
	वनस्पतिशास्त्र	1	1	0	0	डॉ0 के0पी0 नामदेव	24.11.2012
4	कीड़ा अधिकारी	1	0	1	0	श्री राजेश सिंह	28.10.2021
5	ग्रंथपाल	1	0	1	0	श्री विकाश जायसवाल	09.10.2021
6	सहायक वर्ग – 1	1	1	0	0	श्री हरप्रसाद साहू	07.02.2022
7	सहायक वर्ग – 2	1	2	0	1	श्री आर.के. साहू	09.03.2021
8	सहायक वर्ग – 3	1	1	0	0	श्री एम.आर. क्षत्री	07.08.2014
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	1	0	0	श्री उमाशंकर गिलहरे	08.08.2011
10	प्रयोगशाला तकनीशियन	4	3	1	0	श्री आर.के त्रिपाठी	27.07.1990
						श्री आर. राठिया	10.06.1996
						श्री लालजी पैकरा	22.08.2017
						रिक्त	
11	प्रयोगशाला परिचारक	5	4	1	0	श्री गिरधारी सलाम	20.02.2013
						श्री रोहिणी कुमार साहू	11.03.2015
		श्री सत्यप्रकाश साहू				श्रीमती दिक्षा नायडू	23.03.2015
12	भृत्य	2	1	1	0	श्री रामकुमार यादव	23.01.2010
13	बुक लिफ्टर	1	0	1	0	रिक्त	
14	चौकीदार	1	1	0	0	श्री रामअवतार बरगाह	10.04.2008
15	स्वीपर	1	0	1	0	रिक्त	

(बी0एल0 काशी)
प्राचार्य,
PRINCIPAL
Govt. Niranjan Kesharwani College
Kota, Dist - Bilaspur (C.G.)

जनभागीदारी समिति

1. स्थानीय जनभागीदारी प्रबंधन समिति शासकीय महाविद्यालय कोटा म.प्र. शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/73/696/सी-338/दिनांक 1 अक्टूबर 1996 के निर्देशों के अनुरूप शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन एवं पंजीयन 02.05.1997 को हुआ । महाविद्यालय की स्थानीय जनभागीदारी प्रबंधन समिति की संरचना है ।

   1. सामान्य परिषद 2. प्रबंधन समिति 3. वित्त समिति आदि कार्यशील है।

बैठक :-

1. सामान्य परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार जुलाई एवं दिसम्बर में होती है।
2. जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च में आयोजित होती है।

सामान्य परिषद अध्यक्ष :-

श्रीमती मनोरमा आदित्य दीक्षित	-	अध्यक्ष जनभागीदारी समिति
उपाध्यक्ष	-	रिक्त
कलेक्टर प्रतिनिधि	-	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा
पदेन सचिव	-	प्राचार्य, श्री बी.एल. काशी
श्री देवेन्द्र कश्यप	-	उद्योगपति (मेन रोड करगीरोड कोटा)
श्री अरूण त्रिवेदी	-	कृषक (करगी खुर्द)
श्री प्रदीप परमार	-	दानदाता (मेन रोड करगीरोड कोटा)
श्री आदित्य दीक्षित	-	सामान्य (मेन रोड करगीरोड कोटा)
श्री शशांक सोनी व	-	अभिभावक, मेनरोड करगीरोड कोटा
श्री प्रदीप गुप्ता	-	अभिभावक, मेनरोड करगीरोड कोटा
श्री हरीश नामदेव	-	पूर्व छात्र, मेनरोड करगीरोड कोटा
श्री विभय सिंह ठाकुर	-	पूर्व छात्र, फिरंगीपारा करगीरोड कोटा
श्री अशोक अनंत	-	अनुसूचित, कोसकट्टी
श्री राजेश नेताम	-	आदिवासी, मोंहदी, पो. गोबरीपाट
श्री मनोज साहू	-	पिछड़ा वर्ग, कोटसागर पारा, कोटा
श्री माधवी पाण्डेय	-	महिला, बाजार पारा करगीरोड कोटा
श्री चुन्नी लाल साहू	-	सांसद प्रतिनिधि
श्री विमल कुमार गुप्ता	-	विधायक प्रतिनिधि

महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ

1.	वाचनालय	22.	सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन
2.	कम्प्यूटर/लैब	23.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों
3.	फोटोकापी	24.	जनभागीदारी समिति
4.	स्वास्थ्य परीक्षण	25.	एल्यूमिनी एसोसियेशन
5.	ग्रंथालय	26.	अनुशासन समिति
6.	खेलकूद	27.	एंटी रैगिंग
7.	छात्रवृत्ति निर्धन एवं होशियार छात्र-छात्राओं हेतु	28.	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
		29.	महिला उत्पीड़न समाधान समिति
8.	बीमा सुविधा	30.	छात्रा कामन रूम
9.	सायकल स्टैण्ड सुविधा	31.	साउण्ड बॉक्स एवं माइक की सुविधा
10.	कैंटीन सुविधा	32.	त्रैमासिक, छःमाही एवं प्री एग्जाम टेस्ट की व्यवस्था
11.	वृक्षारोपण		
12.	पेयजल	33.	कैम्प (एन.एस.एस. छात्रों हेतु)
13.	प्रसाधन	34.	सूचना का अधिकार
14.	विभागीय ग्रंथालय	35.	ट्रेनिंग, प्लेसमेंट हेतु एम्प्लायमेंट सेल
15.	रेडक्रास	36.	विश्वविद्यालय संबंधी आवश्यक प्रपत्रों की सुविधा
16.	एन.एस.एस.		
17.	फर्स्ट एड सुविधा	37.	नोटिस बोर्ड (विभागीय एवं अन्य)
18.	फीस काउन्टर सुविधा	38.	आचरण संहिता
19.	शिकायत पेटी छात्र-छात्राओं हेतु	39.	गमलों की व्यवस्था
20.	प्रायोगिक सुविधा	40.	अकादमिक कैलेण्डर 2023-24
21.	अतिथि व्याख्यान	41.	टाईम टेबल

संलग्न - 1

छात्र/छात्रा का शपथ-पत्र

1. मैं .... (छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती .... **शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)** में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूं/देती हूं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूं या षड्यंत्र करता/करती हूं तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है ।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूं कि -

   अ. मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो ।

   ब. मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देत हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो ।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मेरी ये घोषण असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) ....(दिन) .... (माह) .... (वर्ष) ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) .... माह .... वर्ष................ को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त

माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती... (माता-पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. .... (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन/नामांकन सहित) **शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)** में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं कि -

   अ. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपरधन में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के अंतर्गत आता है ।

   ब. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो ।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्धउक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है ।
6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपरध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया ।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

फोन/मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) ....(दिन) .... (माह) .... (वर्ष) ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) .... माह .... वर्ष................ को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त

APPLICATION FORM FOR ADMISSION - 20.....-20......

प्रत्येक पाठ्यक्रम/कक्षा हेतु पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा ।
Application form of one course of study shall not be transfered for another course of study.

शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा, (□.ग.)

GOVT. NIRANJAN KESHARWANI COLLEGE, KOTA (C.G.)

NAAC accredited (Cycle-III) with CGPA 2.60 in November 2022
"B+" GRADE

S.No.

नवीनतम कलर पासपोर्ट साईज फोटो

अंतिम परीक्षा का प्राप्तांक Marks obtained of Last Exam	
अंतिम परीक्षा का पूर्णांक Total Marks of Last Exam	

1. पाठ्यक्रम /कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये ....
   Application for Admission to ....

2. आवेदक का नाम श्री/कु./श्रीमती ....
   (Name of Candidate Shri / Ku. / Smt.) ....

3. पिता का नाम (Father's Name) ....

4. माता का नाम (Mother's Name) ....

5. उस वर्ग का नाम जिसमें आप आते है (✔ लगावें)
   (Mention the category to which you belong)

सा. Gen.	अ.जा. SC.	अ.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC	विकलांग PH	स्व.सं.सेनानी FF

6. आवेदक द्वारा लिये जाने वाले विषयों के नाम
   (Subjects offered by the candidate)
   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....

7. जन्मतिथि (Date of Birth) ....
   शब्दों में (In words) ....

8. ब्लड ग्रुप (Blood Group) ....

9. पत्र व्यवहार का पता दूरभाष सहित ....

(Mailing Address with telephone No.) ....मो. नं......................

ई-मेल आई डी ....

10. स्थायी पता पिनकोड व दूरभाष सहित ....

(Permanent Address with telephone No.) ....मो. नं......................

ई-मेल आई डी ....

11. उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे आपात परिस्थिति में ....

संपर्क किया जा सके ....

12. माता एवं पिता का व्यवसाय ....

13. शैक्षणिक योग्यताएँ : (Educational Qualification)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of Passing	बोर्ड/विश्वविद्यालय Board / University	विद्यालय/महाविद्यालय School / College	प्रतिशत Percentage	विषय Subject
हाईस्कूल अथवा समतुल्य High School or Equivalent					
हायर सेकेण्डरी अथवा समतुल्य 10 + 2 or Equivalent					
बी.ए./बी.काम./ बी.एस.सी./ बी.एच.एस.सी. अथवा समतुल्य B.A./B.Com./B.Sc./ B.H.Sc. or Equivalent					
एम.ए./एम.काम./ एम.एस.सी./एम.एच.एस.सी. अथवा समतुल्य M.A. / M.com./M.Sc. / M.H.Sc. or Equivalent					
अन्य Other					

14. यदि पिछले वर्षो में आवेदक का अध्ययन क्रम जारी न रहा हो तो कारण एवं अवधि का उल्लेख कर शपथ पत्र संलग्न करें । ....

15. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद/अन्य किसी भी गतिविधियों में भाग लिया हो तो उपलब्धियों का ब्योरा देवें । ....

16. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें । ....

17. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? ....
यदि हाँ तो किस स्थान की

18. एन.एस.एस. या एन.सी.सी. में से आप क्या लेना चाहते है ? ....

19. संलग्न पत्रों की सूची : (सभी संलग्न प्रपत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो)

1. पिछली परीक्षाओं की अंकसूचियॉ (Marksheets of last exams)
2. जन्म तारीख का प्रमाण पत्र / दसवीं की अंकसूची (Date of birth certificate / Marksheet of class 10th)
3. जाति / वर्ग प्रमाण-पत्र (Cast / Category certificate)
4. स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण-पत्र मूल प्रति (T.C. & Character)
5. शपथ पत्र (Affidavit) if necessary
6. प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)
7. निवास प्रमाण-पत्र

□ावेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैने महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता / करती हूँ कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्त्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहुंगा / करती रहूँगी तथा महाविद्यालय में अथवा बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी व्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा / लूंगी । मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी । मैं यह घोषणा करता/करती हूॅ कि मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है । उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मु□ दंडित कर सकते है तथा निष्कासित भी कर सकते है जिसकी पूर्व सूचना मु□ या मेरे पालक को देना आवश्यक नहीं है। यदि मैं महाविद्यालय में रेगिंग में लिप्त पाया गया / पाई गई तो मु□ महाविद्यालय से निस्कासित किया जावे ।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

□भिभावक का घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूॅ कि मेरी पुत्र/पुत्री/पाल्या द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है । मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्यो, उपस्थिति तथा दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के सम्बंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा उसके लिये पूर्णत: उत्तरदायी रहते हुये महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूँगा और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व का वहन करूंगा । यदि मेरे पुत्र / पुत्री/पाल्या के विरू□ रेगिंग की शिकायत प्राप्त हुई तो उसे महाविद्यालय से निस्काषित किया जाए । इसमें पूर्ण सहमति होगी ।

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

For Office Use Only

□वेदन - पत्र की समस्त प्रविष्टयों की जांच कर ली गयी है तथा उन्हें ठीक पाया गया। उनमें निम्नलिखित □पूर्णतायें तथा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये है ।

1. ______________________________

2. ______________________________

दिनांक ....   **प्रधान लेखक**

प्रवेश समिति की □नुशंसा / टिप्पणी

1. □वेदक को निम्नलिखित प्रतिबंधों की □नुशंसा की जाती है ।   क□ा ....
   विषय ....
2. □वेदक को निम्नलिखित प्रतिबंधों पर प्रवेश दिया जावे -
   □. विषय परिवर्तन ....
   ब. □वेदन पत्र की निम्नलिखित □ापूर्तियों की जावे -
   ....
   3. □वेदन पत्र □स्वीकृत किया जाता है ।

संयोजक, प्रवेश समिति

प्राचार्य का □ादेश

श्री /कु./श्रीमती .... को उपर दशार्ये गई क□ा में निहित शर्तो के □तर्गत प्रवेश दिया जावे ।

दिनांक................   **प्राचार्य**

शुल्क शाखा

प्रवेश क्रमांक .... दिनांक ....

शास. शुल्क रसीद क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

□शास. शुल्क रसीद क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

जनभागीदारी शुल्क रसीद क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

शुल्क लिपिक के हस्ता□र

क्रमांक .... प्रवेश पत्र निर्गमित किया गया □वेदन-पत्र □स्वीकृत करने की सूचना की गई ।

प्रवेश लिपिक   **प्रधान लिपिक**

प्रवेश स्वीकृत/ □स्वीकृत

प्राचार्य

NAAC PEER TEAM VISIT
EXIT MEETING

WELCOME

EXIT MEETING

NAAC PEER TEAM

NAAC PEER TEAM

शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा
राष्ट्रीय सेवा योजना